अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:एस्टे/एम/एफ.10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/16/3194–3381 दिनांक: 28/06/16

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी

नगर निगम/ परिषद्/ पालिका,

समस्त राजस्थान।

विषयः– राजस्थान नगर (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थायीकरण एवं अन्तः वरिष्ठता सूची के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्र कमांक 507–695 दिनांक 23.02.2016, 5293–5480 दिनांक 09.10.2015, 1684–1868 दिनांक 25.03.2015, 2973–3156 दिनांक 02.12.2014 एवं नगर निगमों को प्रेषित अ0शा0 पत्र कमांक 1938–1943 दिनांक 03.06.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी प्रासंगिक पत्रों एवं परिपत्रों द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थायीकरण के संबंध में निर्देशित किया गया था कि जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई जांच विचाराधीन नहीं है एवं सेवाएं व कार्य संतोषप्रद है, उनका दो वर्ष का परीवीक्षाकाल पूर्ण होने पर वर्तमान पदस्थापन निकाय द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता पद पर स्थायीकरण कर सूचना विभाग को भिजवाई जावे। **विभागीय परिपत्र दिनांक 09.10.2015 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में किसी कारणवश नगर पालिका मण्ड़ल की बैठक नहीं होने की स्थिति में नगर पालिका मण्ड़ल की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में स्थायीकरण व नियमित वेतन श्रृंखला की कार्यवाही यथाशीघ्र की जावे।** यह भी निर्देशित किया गया था कि वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थायीकरण की कार्यवाही संबंधित के पैतृक नगर निकाय द्वारा की जाएगी। साथ ही जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं की निजी पत्रावलियों की डुप्लीकेट पत्रावलियां विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें भी अविलम्ब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु अधिकांश नगर निकायों द्वारा राजकीय निर्देशों की पालना नहीं की गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता पद की वरिष्ठता सूची जारी किये जाने के कम में उप निदेशक (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय समस्त एवं नगर निकायों से प्राप्त सूचना में भारी मात्रा में त्रुटियां पाई गई हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

कतिपय नगर निकायों द्वारा स्थायीकरण दो वर्ष का परीवीक्षाकाल पूर्ण करने तिथि से पूर्व, तो कुछ के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं का स्थायीकरण दो वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात् किया जाना पाया गया है।

कई नगर निकायों द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं को परीवीक्षाकाल पूर्ण होने पर नियमित व स्थायी वेतन–श्रृंखला के आदेश जारी किये गए हैं जो स्थायीकरण आदेश नहीं हैं। स्थायीकरण आदेश में कार्मिक को कनिष्ठ अभियन्ता पद पर स्थायी किये जाने का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

विभागीय परिपत्र दिनांक 23.02.2016 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवा संबंधी विस्तृत जानकारी निम्न प्रपत्र में संबंधित दस्तावेजों सहित चाही गई थी :–

क.सं.	नाम कनिष्ठ अभियन्ता	जन्म–तिथि	वर्तमान पदस्थापन	सेवा में प्रथम नियुक्ति (जोईनिंग) तिथि	स्थायीकरण तिथि	विशेष विवरण डिग्री/डिप्लोमा

इसके बावजूद अधिकांश नगर निकायों से प्राप्त सूचना निर्धारित प्रपत्र में नहीं है व प्राप्त सूचना में कनिष्ठ अभियन्ताओं की जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि, स्थायीकरण की तिथि व तकनीकी योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा) का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है व संबंधित दस्तावेज व डुप्लीकेट निजी पत्रावली भी नहीं भिजवाई गई है। अपितु कुछ निकायों द्वारा कनिष्ठ अभियन्तागण की मूल सेवा–पुस्तिका भिजवाई गई है जो विभाग द्वारा नहीं चाही गई थी।

कुछ निकायों द्वारा निदेशालय से विभागीय जांच की जानकारी लिए बिना ही स्थायीकरण की कार्यवाही कर दी गई है, ऐसे निकाय संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध निदेशालय में कोई जांच विचाराधीन नहीं है, इस तथ्य की पुष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

विभागीय निर्देशों की पालना में जिन निकायों द्वारा संबंधित कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है, उसमें त्रुटि होने पर आवश्यक सुधार व संशोधन कर विभाग को अवगत कराएंगे तथा जिन निकायों द्वारा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषजनक सेवा के साथ पूर्ण होने पर भी कनिष्ठ अभियन्ताओं का स्थायीकरण नहीं किया गया है, वे अविलम्ब स्थायीकरण की कार्यवाही कर विभाग को अवगत कराएंगे।

अ0शा0 पत्र कमांक 1938–1943 दिनांक 03.06.2016 के कम में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थायीकरण की कार्यवाही संबंधित नगर निगमों द्वारा अविलम्ब की जाएगी ताकि संबंधित के नाम अन्तः वरिष्ठता सूची में जोड़े जा सकें।

अतः उपरोक्तानुसार स्थायीकरण व त्रुटि–सुधार की कार्यवाही नगर पालिका मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में सात दिवस में आवश्यक रूप से की जाकर विभाग को संबंधित दस्तावेजों सहित भिजवाना सुनिश्चित करावें, अन्यथा प्रकरण में जान–बूझकर विलम्ब करने का दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकःएस्टे/एम/एफ10( )/आरएमएस(टी)/डीएलबी/16/3382–3881 दिनांकः 28/06/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव महो0 स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
3. समस्त कनिष्ठ अभियन्तागण राज0 नगर पालिका (अधी0 व मंत्रा0) सेवा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना में संबंधित प्रपत्र की पूर्ति करवाकर वांछित दस्तावेजों व निजी पत्रावली की छायाप्रति सहित निदेशालय को सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. सुरक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक